कुलाधिपति
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHANCELLOR
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN, LUCKNOW

Ref. No.: ई-3201/जी०एच०

Date.: 03/05/2024

आदेश

1. प्रत्यावेदिका डॉ0 बृष्टि मित्रा व 14 अन्य, निवासी : म0नं0 474, आई.आई.टी. कैम्पस, कानपुर नगर द्वारा मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में योजित रिट ए संख्या–18211 ऑफ 2023 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2023 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (आगे 'अधिनियम') की धारा–68 के अन्तर्गत प्रस्तुत दिनांक रहित संयुक्त प्रत्यावेदन के माध्यम से छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (आगे 'विश्वविद्यालय') में अपनी सेवायें विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण संकाय के रूप में माने जाने, व्यक्तिगत पदोन्नति/कैरियर उन्नति योजना, विश्वविद्यालय शासी निकायों की सदस्यता, सेवा पुस्तिका और अन्य आर्थिक लाभ सहित नियमित शिक्षण संकाय सदस्यों को अनुमन्य परिणामी लाभ प्रदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2(क). प्रत्यावेदिका (1) डॉ0 बृष्टि मित्रा तथा अन्य आवेदक (2) डॉ0 विनय कुमार सचान, (3) डॉ0 अरूण कुमार गुप्ता, (4) डॉ0 अभिषेक कुमार चंद्रा, (5) डॉ0 प्रवीण भाई पटेल, (6) डॉ0 उमेश चंद्र शर्मा, (7) डॉ0 रामेन्द्र सिंह निरंजन, (8) डॉ0 दीपक कुमार वर्मा, (9) डॉ0 आलोक कुमार, (10) डॉ0 सन्देश गुप्ता, (11) श्रीमती सुरूचि कनौजिया, (12) डॉ0 विशाल अवस्थी, (13) श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव, (14) श्रीमती पारूल अवस्थी एवं (15) श्री आनन्द कुमार गुप्ता का संयुक्त कथन है कि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 एवं विश्वविद्यालय अध्यादेश/परिनियमावली द्वारा शासित है। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए शासनादेश दिनांक 12.02.1997 द्वारा शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पद स्वीकृत किये गये जिसके अनुसरण में चार विभागों, (1) केमिकल इंजीनियरिंग, (2) कम्प्यूटर इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी, (3) इलेक्ट्रानिक और संचार इंजीनियरिंग और (4) मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर के कुल चार पद, रीडर के आठ पद एवं लेक्चरर के 16 पद तथा शैक्षणिक कर्मचारियों के कुल 20 पद भी स्वीकृत किये गये। उक्त शासनादेश में उल्लेख था कि विभिन्न सरकारी आदेशों के

माध्यम से राज्य के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध भत्ते दिनांक 12.02.1997 के शासनादेश के तहत बनाये गये उपरोक्त पदधारकों को देय होंगे तथा उक्त पदों के सापेक्ष होने वाला खर्च विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। समय–समय पर, दिनांक 03.04.1997 से 26.08.2006 के मध्य जारी विज्ञापनों के अनुसरण में उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत पदों के सापेक्ष किया गया डॉ0 बृष्टि मित्रा व 14 अन्य प्रत्यावेदकगण का लेक्चरर पद पर चयन वेतनमान में, अधिनियम, 1973 की धारा 31(1) के अनुसार गठित चयन समिति की संस्तुति के अनुरूप एवं कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित है। तत्पश्चात कतिपय प्रत्यावेदकगण को रीडर पद पर नियुक्त किया गया एवं रीडर पद के रूप में परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर विस्तार पत्र जारी किये गये हैं। प्रत्यावेदकगण में से डॉ0 रवीन्द्र नाथ द्वारा विश्वविद्यालय की सेवा से त्याग–पत्र दे दिया गया है। वर्तमान में डॉ0 बृष्टि मित्रा व 14 अन्य प्रत्यावेदक नियुक्ति के बाद से निष्ठापूर्वक कार्यरत हैं।

2(ख). स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, जिसे पूर्व में UIET, (University Institute of Engineering & Technology) के रूप में जाना जाता था, विश्वविद्यालय का अभिन्न हिस्सा है और विश्वविद्यालय पूरी तरह वित्तपोषित है। नियुक्ति के बाद से प्रत्यावेदकगण सम्बन्धित पदों पर बिना किसी शिकायत के नियमित वेतनमान पर कार्यरत हैं किन्तु उन्हें 6वें और 7वें वेतन आयोग के लाभों का समय पर भुगतान नहीं किया गया है और जिस समय उन्हें 6वें और 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया गया था, उन्हें लाभ के देरी से भुगतान पर बकाये का भुगतान नहीं किया गया है। प्रत्यावेदकगण समय पर पदोन्नति पाने के हकदार हैं लेकिन बिना किसी उचित कारण के उन्हें उनकी पदोन्नति और व्यक्तिगत पदोन्नति या कैरियर उन्नति योजना (CAS) का लाभ नहीं दिया गया है जिसके लिए प्रत्यावेदकगण विश्वविद्यालय के समक्ष बहुत लम्बे समय से अपनी शिकायत उठा रहे हैं लेकिन उनके अनुरोध पर विश्वविद्यालय द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 12.02.1997 के तहत नियुक्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का समायोजन विश्वविद्यालय द्वारा कर लिया गया है तथा उन्हें नियमित कर्मचारियों की भांति सभी सेवा लाभों का भुगतान किया जा रहा

है। प्रत्यावेदकगण के पद भी उक्त शासनादेश दिनांक 12.02.1997 द्वारा स्वीकृत किये गये थे किन्तु उनकी सेवायें नियमित कर्मचारियों के रूप में नहीं देखी जा रही हैं और उन्हें नियमित कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सेवा लाभ प्रदान किये जाने से वंचित किया जा रहा है। नियमित कर्मचारी का सेवालाभ न दिये जाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यावेदकगण को अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया है कि सरकारी आदेश दिनांक 12.02.1997 में दी गयी शर्त है कि उपर्युक्त पद स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रमों के लिए सृजित किये गये हैं इसलिए विश्वविद्यालय के प्रस्तावानुसार, पाठ्यक्रम पर आने वाला संपूर्ण भार विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा, जिसके कारण प्रत्यावेदकगण की सेवायें स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के तहत देखी जा रही हैं।

2(ग). प्रत्यावेदकगण का चयन, चयन समिति द्वारा अधिनियम, 1973 की धारा 31(1) के अनुसार होने के साथ ही कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत है और उन्हें स्थायी कर्मचारियों का लाभ प्रदान करने और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उपलब्ध कराये गये लाभ न मिलने का कोई कारण नहीं है। शासनादेश दिनांक 12.02.1997 में भी वर्णित है कि इन पदों के सापेक्ष चयनित कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध सभी लाभ देय होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यावेदकगण को मौखिक जानकारी दी गयी है कि उनकी नियुक्ति स्ववित्तपोषित योजना के तहत है इसलिए नियमित कर्मचारियों के लाभ उन्हें उपलब्ध नहीं होंगे व इससे सम्बन्धित कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। प्रदेश में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम शासनादेश दिनांक 28.06.1999 के अनुसार शुरू हुए हैं इन पाठ्यक्रमों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सरकारी आदेश दिनांक 28.06.1999, 30.10.1999, 04.02.2000, 09.05.2000, 30.05.2013, 13.03.2020 से स्पष्ट है कि स्ववित्तपोषित योजना के तहत शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद विश्वविद्यालय कार्य परिषद द्वारा वित्त समिति के प्रस्ताव के आधार पर सृजित किये जाते हैं तथा इस योजना के तहत पदों की स्वीकृति करने में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। अधिनियम, 1973 की धारा 21(3) के तहत राज्य सरकार नियमित पदों का सृजन करती है। सम्बन्धित शैक्षणिक और

गैर–शैक्षणिक पद राज्य सरकार द्वारा शासनादेश दिनांक 12.02.1997 के तहत सृजित एवं अधिनियम की धारा 21(3) के तहत राज्य सरकार की शक्तियों के प्रयोग से बनाये गये हैं। स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम पहली बार शासनादेश दिनांक 28.06.1999 द्वारा शुरू हुए। इनसे पहले इन पाठ्यक्रमों की कोई अवधारणा नहीं थी अतएव शासनादेश दिनांक 12.02.1997 के माध्यम से बनाये गये पद को किसी भी तरह से स्व–वित्तपोषित नहीं माना जा सकता है। शासनादेश दिनांक 12.02.1997 से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय के प्रस्ताव के आधार पर पाठ्यक्रम को चलाने वाले व्यय के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। वित्तीय स्थिति के दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय एक स्वायत्त विश्वविद्यालय है तथा यह अपने नियमित शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन के लिए राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं करता है जिससे विश्वविद्यालय को प्रत्यावेदकगण को नियमित कर्मचारियों के लाभ देने के लिए राज्य सरकार से किसी भी वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार की स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रमों के लिए पद सृजित करने में कोई भी भूमिका नहीं है। शासनादेश दिनांक 12.02.1997 से सृजित पद नियमित पद होने से प्रत्यावेदकगण की सेवाएं स्व–वित्तपोषित योजनान्तर्गत नहीं मानी जा सकती हैं। विश्वविद्यालय अकारण ही प्रत्यावेदकगण के साथ भेदभाव करते हुए उन्हें पदोन्नति/कैरियर उन्नति योजना (CAS), पेंशन लाभ (2004 से पहले नियुक्त), एनपीएस लाभ (2004 के बाद नियुक्त), अवकाश लाभ, ग्रेच्युटी एवं शिक्षकों को सरकार से शोध अनुदान आदि सुविधाओं से वंचित कर रहा है।

2(घ). शासनादेश दिनांक 12.02.1997 के समान ही विभिन्न राजकीय विश्वविद्यालयों में भी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू किये गये थे, जिसमें राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गयी थी। शासनादेश दिनांक 12.02.1997 की तरह एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली में शासनादेश दिनांक 24.01.1996 एवं 29.04.1998 द्वारा शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों का सृजन किया गया था जिनमें यह उल्लेख था कि उक्त पदों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अपने संसाधनों के माध्यम से व्यय किया जायेगा। बरेली

विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पदों पर नियुक्त शिक्षकों को नियमित वेतनमान देकर उन्हें पदोन्नति और CAS का लाभ प्रदान किया गया है। बरेली विश्वविद्यालय में नियुक्ति पंत्र दिनांक 28.09.2002 द्वारा आईईटी विभाग में रीडर के पद पर नियुक्त डॉ0 आशा चौबे को CAS के तहत दिनांक 03.02.2020 को प्रोफेसर पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी थी। डॉ0 आशा चौबे द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में योजित रिट ए संख्या 24058 ऑफ 2014, डॉ0 आशा चौबे बनाम उ0प्र0 राज्य और अन्य में कैरियर उन्नति योजना का लाभ मॉगे जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा याचिका निस्तारित करते हुए विश्वविद्यालय को डॉ0 चौबे की पदोन्नति के दावे पर विचार करने के निर्देश दिया गया। पूर्वोक्त रिट याचिका के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 28.09.2014 में कुलपति को उस सम्बन्ध में लागू विभिन्न सरकारी आदेशों के अनुसार, योग्यता के आधार पर अपने स्तर से निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया गया जिससे उक्त शिक्षिका को कैरियर उन्नति योजना के तहत पदोन्नति दी गयी है।

2(च). उक्त विश्वविद्यालय, बरेली में सहायक आचार्य डॉ0 निवेदिता श्रीवास्तव, एप्लाइड केमिस्ट्री विभाग के प्रकरण में कुलाधिपति द्वारा डॉ0 निवेदिता को दिनांक 10.10.2011 से संशोधित वेतन बैण्ड प्लस एजीपी में सहायक प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति से वंचित किये जाने संबंधी कुलपति के आदेश को निरस्त करते हुए डॉ0 निवेदिता को कैरियर एडवांसमेण्ट स्कीम के तहत संशोधित वेतन बैण्ड प्लस एजीपी के साथ पदोन्नति देने हेतु अधिनियम, 1973 की धारा 31–ए के संदर्भ में एक चयन समिति का गठन कर उसकी सिफारिश को कार्य परिषद के समक्ष रखे जाने का निर्देश दिया गया, जिसमें कुलाधिपति द्वारा माना गया है कि डॉ0 निवेदिता को शुरू में राज्य सकरार द्वारा सृजित नियमित पद पर नियुक्त किया गया था इसलिए विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के तहत उनकी पदोन्नति से इंकार नहीं किया जा सकता है और इसमें कोई भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है जिससे अधिनियम, 1973 की धारा 31–ए का उद्देश्य विफल हो। विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1997 में यह

प्रस्ताव दिया गया था कि शासनादेश दिनांक 12.02.1997 द्वारा सृजित उक्त पदों का शत प्रतिशत व्ययभार वह अपने संसाधनों से स्वयं वहन करेगा। विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर होने के कारण शासनादेश दिनांक 12.02.1997 द्वारा सृजित पदों के सापेक्ष एवं उक्त शासनादेश के अनुसरण में नियुक्त प्रत्यावेदकगण को स्ववित्तपोषित योजना के तहत नहीं माना जा सकता है तथा वे नियमित शिक्षकों के लिए उपलब्ध सभी लाभों के हकदार हैं। प्रत्यावेदकगण से नियमित शिक्षकों की तरह सभी कार्य लिये जा रहे हैं। प्रत्यावेदकगण और विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षकों के कर्तव्यों में कोई भेद नहीं है अतएव प्रत्यावेदकगण की याचना पर संज्ञान लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किये जायें कि विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी में शासनादेश दिनांक 12.02.1997 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्त प्रत्यावेदकगण को नियमित शिक्षकों को अनुमन्य उपर्युक्त सभी लाभ/अनुतोष प्रदान किये जायें।

3(क). विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यावेदकगण के उपर्युक्त प्रत्यावेदन पर प्रस्तुत आख्या में मुख्य रूप से उल्लेख है कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1995–96 में विश्वविद्यालय परिसर में इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिक विषय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों को स्ववित्तपोषित आधार पर संचालित करने का निर्णय लिया गया था। तद्समय स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों की परिकल्पना तो यद्यपि विद्यमान थी, परन्तु इसे विनियमित करने के लिए कोई नीति तथा व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित नही की गई थी। इस परिस्थिति विशेष के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय में अभियन्त्रण एवं प्रौद्योगिक विषयों में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु कार्य परिषद की सहमति के उपरान्त इन पाठ्यक्रमों के शिक्षण कार्य हेतु शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पद के सृजन के लिये प्रस्ताव विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 07.09.1996 द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिस पर विस्तृत विचारोंपरान्त शासनादेश दिनांक 12.02.1997 द्वारा विश्वविद्यालय में विधिवत् इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम चलाये जाने सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हो जाने पर पाठ्यक्रम चलाये जाने के लिये विभिन्न विधाओं में प्रोफेसर, रीडर तथा

लेक्चरर के क्रमशः 04, 08, 16 मौलिक पदों का सृजन, इन पदों पर परिनियमों एवं अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार भरने की तिथि से दिनांक 30.08.1997 तक की अवधि के लिये, बशर्ते कि उन्हें उससे पूर्व समाप्त न कर दिया जाय, सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, साथ ही, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु 20 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मौलिक पदों के सृजन को भी अनुमोदित किया गया था। उक्त शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख था कि "*उपरोक्त पदों के संबंध में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम होने के कारण विश्वविद्यालय के प्रस्तावानुसार शत प्रतिशत व्ययभार विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा.....*।"

3(ख). उक्त के क्रम में शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 10.02.1998 के द्वारा विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (वर्तमान में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी) सहित अन्यान्य शैक्षिक तथा प्रशासनिक विभागों हेतु कुल 109 शिक्षणेत्तर मौलिक पदों को स्ववित्तपोषित आधार पर सृजन किया गया है। शासन द्वारा पद सृजन के प्रसंगाधीन शासनादेशों में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (तदवर्ती यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी) हेतु सृजित शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों में से सहायक लेखाकार, कनिष्ठ लेखा लिपिक तथा परिचर के क्रमशः 01, 01, 14 पदों पर विश्वविद्यालय में तद्समय कार्यरत कर्मचारियों को समायोजित करते हुए शासन के सूचनार्थ उक्त कार्यवाही का विवरण प्रेषित किया गया। शासन द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय के घटक तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित आधार पर संचालन के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के विनियमन हेतु वर्ष 1997 से विभिन्न चरणों में नीतिगत आदेश जारी किए गये थे, जिसके क्रम में शासनादेश 28.06.1999 में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के विभिन्न शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों की नियुक्ति के सम्बन्ध में मानक निर्गत किये गये हैं।

3(ग). शासन द्वारा स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु समय–समय पर अपनी नीतियों में परिवर्तन के साथ परिवर्धन करते हुए स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के

संचालन के संबंध में नवीनतम आदेश, संदर्भ संख्या-2/2020/226/सत्तर-2-2020-18 (31)/2018 दिनांक 13.03.2020 के अधीन निर्गत किया गया है, जो विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत भी किया जा चुका है। उक्त आदेश में अन्य विषयों के साथ इस बात का भी स्पष्ट निर्देश है कि स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों से प्राप्त शिक्षण शुल्क का न्यूनतम 75 प्रतिशत अंश शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन पर व्यय किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा की नियामक संस्था, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2010 और तद्क्रम में दिनांक 01 मार्च, 2019 को तकनीकी संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों एवं तकनीकी स्टाफ के नियोजित कर्मियों को अनुमन्य वेतनमान, सेवा-शर्तों और न्यूनतम अर्हताएं तथा तकनीकी शिक्षा मानकों के अनुरक्षण के लिए उपायों के सम्बन्ध में जारी अधिसूचनाओं में इस बात का भी उल्लेख किया गया है, कि तकनीकी शिक्षा के शिक्षकों को सतत् रूप से प्रोत्साहित रखने के प्रयोजनार्थ इन्हें निर्धारित समय अन्तराल पर उच्चतर पदनाम एवं वेतनमान अनुमन्य किया जाए। इस सम्पूर्ण योजना का उल्लेख इन अधिसूचनाओं में "कैरियर एडवान्समेंट स्कीम" शीर्षक के अन्तर्गत किया गया है। उक्त अधिसूचनाओं के अद्यावधिक प्रावधानों के अन्तर्गत प्रसंगाधीन प्रत्यावेदकगण द्वारा "कैरियर एडवान्समेंट स्कीम" के अन्तर्गत उन्हें प्रोन्नति अनुमन्य करने की मांग करते हुए निवेदन किया गया है कि उन्हें पात्रतानुसार उच्चतर वेतनमान में पदस्थापित किया जाए, उक्त विवरण निम्नवत् है :

Sl. No.	Faculty Name	Department	Designation	Current AGP	Year of Joining
1	Dr. Brishti Mitra	CHE	Assistant Professor (Selection Grade)	8000	Sep-05
2	Dr. Vinay Kumar Sachan	CHE	Assitant Professor (Selection Grade)	8000	Aug-07
3	Dr. Arun Kumar Gupta	CHE	Assitant Professor (Senior scale)	7000	Aug-07
4	Dr. Abhishek Kumar Chandra	CHE	Assitant Professor	6000	Aug-07

5	Dr. Praveen Bhai Patel	CHE	Assitant Professor	6000	Aug-07
6	Dr. Umesh Chandra Sharma	CHE	Assitant Professor	6000	Aug-07
7	Dr. Ramendra Singh Niranjan	MEE	Assitant Professor	6000	Aug-07
8	Dr. Deepak Kumar Verma	CSE	Assitant Professor (Senior scale)	7000	Jul-09
9	Dr. Alok Kumar	CSE	Assitant Professor	6000	Jul-09
10	Dr. Sandesh Gupta	CSE	Assitant Professor	6000	Jul-09
11	Dr. Suruchi Kannojia	CSE	Assitant Professor	6000	Jul-09
12	Dr. Vishal Awasthi	ECE	Assitant Professor	6000	Dec-02
13	Ajeet Kumar Srivastava	ECE	Assitant Professor	6000	Jul-09
14	Parul Awasthi	ECE	Assitant Professor	6000	Jul-09
15	Anand Kumar Gupta	ECE	Assitant Professor	6000	Sep-05

3(घ). कार्यपरिषद ने दिनांक 12.07.2021 को सम्पन्न अपनी बैठक में मद संख्या–2021–4.09(05) के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव में निर्णय लिया कि, "*विश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषत विभागों में शिक्षकों के पदों की निवर्तमान स्थिति एवं रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया किए जाने हेतु कार्य परिषद संसूचित हुई एवं अनुमोदन प्रदान किया। वेतनमान पर कार्यरत शिक्षकों के पदोन्नति हेतु CAS आधारित वार्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया...*" तथा उक्त विषय पर विश्वविद्यालय के स्थायी अधिवक्ता श्री रोहित पाण्डेय का अभिमत : "*... Executive Council of University has also decided to grant promotion under CAS to the teachers working on pay scale in the self-finance course in the University, therefore, I do not find any legal impediment in implementing the CAS to the teachers working under the self-finance course subject to a condition that in any case, financial burden, whch will be accrue in*

implementing the aforesaid scheme, shall not cross the limit of 75% of the total income received in the course, which has been prescribed under the govt. order dated 13.3.2020" लेकर प्रतिवेदन में आवेदकों द्वारा किये गये निवेदन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण से उपरोक्तानुसार अवगत कराया गया है।

3(च). विश्वविद्यालय द्वारा अपने अन्य पत्र दिनांक 04.03.2024 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु शिक्षकों के पदों के सृजन संबंधी शासनादेश संख्या 381/15(15)/97–40(10)/96 दिनांक 12.02.1997 द्वारा विभिन्न विभागों में प्रोफेसर के चार, रीडर के आठ तथा लेक्चरर के सोलह पदों का सृजन किया गया था। विश्वविद्यालय में शिक्षकों के चयन हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति का विन्यास अधिनियम, 1973 की धारा 31(1) के अन्तर्गत विख्यापित है। प्रत्यावेदक शिक्षकों की नियुक्ति विधिवत गठित चयन समिति एवं कार्यपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता एवं रीडर पदों पर नियुक्त किया गया था। परिनियमों एवं अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार उक्त शिक्षकों को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई तथा अन्य भत्तों का लाभ दिया जा रहा है, परन्तु शासनादेशों के अनुरूप कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि इस विभाग में अभी तक कोई भी प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है तथा एन०बी०ए० तथा एन०आई०आर०एफ० रैंकिंग के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्यावेदकगण नियमित शिक्षकों के रुप में माने जाने पर विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है कैरियर एडवान्समेन्ट योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत पदोन्नति एवं अन्य लाभ का व्ययभार विश्वविद्यालय स्वयं वहन करेगा तथा इस पर कोई शासकीय व्ययभार नहीं आयेगा। विश्वविद्यालय बचत का विश्वविद्यालय है। इसे शासन द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न स्कूलों में विनियमित शिक्षकों का व्ययभार भी विश्वविद्यालय वहन कर रहा है और भविष्य में भी वहन करेगा। वर्तमान में प्रत्यावेदकगण सहायक आचार्य, सहायक आचार्य (वरिष्ठ) और सहायक

आचार्य (सेलेक्शन ग्रेड) के पद पर उपरोक्त तालिका के अनुसार नियुक्त/कार्यरत हैं।

4. प्रत्यावेदकगण द्वारा उपरोक्त आख्या के सापेक्ष प्रस्तुत प्रत्युत्तर में अपने प्रत्यावेदन में उठाये गये तथ्यों की पुनरावृत्ति कर, उन पर बल देते हुए मुख्यतः यह उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय में शासनादेश दिनांक 12.02.1997 के अनुसार मंजूर किये गये पदों पर नियुक्त गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों को समाहित कर उन्हें नियमित कर दिया गया है और उन्हें विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारियों को उपलब्ध वह सभी सेवा लाभ दिये जा रहे हैं किन्तु प्रत्यावेदकगण को नहीं। स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों की शुरूआत शासनादेश दिनांक 28.06.1999 के अनुसार हुई थी, इससे पूर्व नहीं अतएव दिनांक 12.02.1997 को जारी शासनादेश के अनुसार बनाये गये पदों को किसी भी तरह से स्ववित्तपोषित नहीं माना जा सकता है। विश्वविद्यालय एक स्वायत्त विश्वविद्यालय है और इसे अपने नियमित शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों के वेतन के लिए कोई सहायता नहीं मिलती है जिससे आवेदकों को नियमित कर्मचारियों के लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगने का कारण या अवसर नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा पदोन्नति/कैरियर एडवांसमेण्ट स्कीम एवं ग्रेच्युटी आदि नियमित शैक्षणिक कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं से प्रत्यावेदकगण को वंचित रखा जा रहा है। दिनांक 12.02.1997 को जारी शासनादेश के समान, विभिन्न शासनादेशों द्वारा विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू हुए, जिनमें राज्य सरकार ने शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक पदों को मंजूरी दी। उसी प्रकार एम0जे0पी0 रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली में सरकारी आदेश दिनांक 24.01.1996 एवं 29.04.1998 के तहत विभिन्न शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक पद राज्य सरकार द्वारा बनाये गये जिनमें उल्लेख था कि उक्त पदों के सापेक्ष जो लागत आयेगी वह विश्वविद्यालय द्वारा अपने संसाधनों के माध्यम से उठाया जायेगा। उक्त विश्वविद्यालय, बरेली में उन पदों के सापेक्ष नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों को वेतनमान पर नियमित चयन प्रदान किया गया और उसके बाद उन्हें कैरियर

उन्नयन योजना का लाभ/पदोन्नति भी प्रदान की गयी। वहीं पर आई.ई.टी. विभाग में रीडर पद पर नियुक्त डॉ0 आशा चौबे को नियुक्ति पत्र दिनांक 28.09.2002 के तहत और उसके बाद कैरियर उन्नयन योजना के तहत प्रोफेसर पद पर दिनांक 03.02.2020 को पदोन्नति प्रदान की गयी अतएव प्रत्यावेदकगण की सेवाओं को नियमित शैक्षणिक कर्मचारियों के रूप में माने जाने एवं उन्हें व्यक्तिगत पदोन्नति/कैरियर उन्नयन योजना और नियमित शैक्षणिक कर्मचारियों को अनुमन्य, अन्य आर्थिक लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जायें।

5(अ). प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यावेदिका डॉ0 बृष्टि मित्रा व 14 अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट ए संख्या 18211 ऑफ 2023 में पारित आदेश दिनांक 24.11.2023 के अनुसरण में अधिनियम की धारा–68 के अन्तर्गत कुलाधिपति से अपनी सेवायें विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण संकाय के रूप में माने जाने, व्यक्तिगत पदोन्नति/कैरियर उन्नति योजना, विश्वविद्यालय शासी निकायों की सदस्यता, सेवा पुस्तिका और अन्य आर्थिक लाभ सहित नियमित शिक्षण संकाय सदस्यों को अनुमन्य परिणामी लाभ प्रदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उपर्युक्त प्रयोजनार्थ प्रत्यावेदकगण विश्वविद्यालय के समक्ष बहुत लम्बे समय से अपनी शिकायत उठा रहे हैं लेकिन उनके अनुरोध पर विश्वविद्यालय द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय का कथन है कि प्रत्यावेदक शिक्षकों की नियुक्ति विधिवत गठित चयन समिति एवं कार्यपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता एवं रीडर पदों पर की गयी थी, परिनियमों एवं अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार उक्त शिक्षकों को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई तथा अन्य भत्तों का लाभ दिया जा रहा है, परन्तु शासनादेशों के अनुरूप कैरियर एडवान्समेन्ट के अंतर्गत पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि इस विभाग में अभी तक कोई भी प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है तथा एन०बी०ए० तथा एन०आई०आर०एफ० रैंकिंग के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्यावेदकगण नियमित शिक्षकों के रुप में माने जाने पर विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है कैरियर

एंडवान्समेंट योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत पदोन्नति एवं अन्य लाभ का व्ययभार विश्वविद्यालय स्वयं वहन करेगा तथा इस पर कोई शासकीय व्ययभार नहीं आयेगा। विश्वविद्यालय बचत का विश्वविद्यालय होने के कारण इसे शासन द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। विश्वविद्यालय विभिन्न पाठ्यक्रमों में विनियमित शिक्षकों का व्ययभार वहन कर रहा है और भविष्य में भी वहन करेगा।

5(ब). यह भी स्पष्ट है कि प्रत्यावेदकगण द्वारा अधिनियम, 1973 की धारा 68 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपने संयुक्त प्रत्यावेदन के माध्यम से विश्वविद्यालय में अपनी सेवायें विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण संकाय के रूप में माने जाने, व्यक्तिगत पदोन्नति/कैरियर उन्नति योजना, शासी निकायों की सदस्यता/सहभागिता, सेवा पुस्तिका और अन्य आर्थिक लाभ सहित नियमित शिक्षण संकाय सदस्यों को अनुमन्य परिणामी लाभ प्रदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है। अधिनियम, 1973 की धारा 68 के अंतर्गत सामान्यतया विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा निर्गत आदेश के विरुद्ध, किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पोषणीय/स्वीकार किये जाते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा सेवा लाभों संबंधी प्रत्यावेदक की व्यथा पर अब तक न तो कोई विचार किया गया है और न ही इस सम्बन्ध में ऐसा कोई आदेश ही पारित किया गया है जिसकी वैधता का परीक्षण अधिनियम, 1973 की धारा 68 के अन्तर्गत कुलाधिपति के स्तर से किया जा सके। प्रत्यावेदकगण द्वारा प्रस्तुत संयुक्त प्रत्यावेदन में किसी नियुक्ति अथवा विश्वविद्यालय द्वारा पारित किसी आदेश को निरस्त किये जाने की याचना नहीं की गयी है और न ही उसे चुनौती ही दी गयी है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम, 1973 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय के किसी नियुक्ति सम्बन्धी अथवा अन्य पारित आदेशों की वैधता तथा इन आदेशों के उक्त अधिनियम, 1973 व तदनन्तर्गत निर्मित परिनियमावली के संगत होने अथवा न होने का परीक्षण किया जाता है। वेतनमान व सेवालाभ कुलाधिपति के स्तर से प्रदान किये जाने सम्बन्धी कार्यक्षेत्र (jurisdiction) का प्रावधान धारा 68 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा **कमेटी आफ मैनेजमेण्ट एण्ड अदर्स बनाम कुलपति व अन्य, (2009) 2 एससीसी 630** (पैरा 20) में उक्त अधिनियम, 1973 की धारा 68 के

अन्तर्गत कुलाधिपति की शक्तियों के दायरे की जॉच करते हुए प्रतिपादित की गयी निर्णयज विधि में यह अवधारित किया गया है कि *"u/s 68 the Chancellor can consider whether the decision of an Authority or Officer is in conformity with the Act or the Statute of a University or an Ordinance made thereunder but the Chancellor is not supposed to consider intricate questions of law requiring interpretation of the Act or jurisdictional issues and for such matters, appropriate remedy is filing a writ petition in the High Court."* जिसके आलोक में प्रत्यावेदकगण द्वारा अधिनियम, 1973 की धारा 68 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन पोषणीय प्रतीत नहीं होता है किन्तु, प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2023, जिसमें वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर प्रकरण कुलाधिपति को संदर्भित किये जाने के आदेश दिये गये हैं, के दृष्टिगत प्रत्यावेदकगण के प्रत्यावेदन पर विचार किया जा रहा है। सूच्य है कि सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 12.02.1997 में स्पष्ट उल्लेख है कि उक्त पदों के सम्बन्ध में स्ववित्तपोषित पाठ्यकम होने के कारण विश्वविद्यालय के प्रस्तावानुसार शत प्रतिशत व्ययभार विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा, तदनुसार सम्बन्धित पदों को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत ही माना जाना चाहिए।

6. प्रकरण में, मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रिट ए संख्या 18211 ऑफ 2023 में पारित आदेश दिनांक 24.11.2023 का सुसंगत निम्न अंश अवलोकनीय है :

"The case of the writ petitioners is that pursuant to a Government order dated 12.12.1997 certain modalities, had been fixed with respect to the selection and the appointment of the teachers in the engineering stream of the Universities under self-financing scheme. Learned counsel for the writ petitioners while driving force from the Government order dated 12.02.1997 seeks to argue that in pursuance of the said Government order, certain benefits are available to the engagees. Pleadings reveals that the writ petitioners claim to have been appointed as lecturer on various dates as mentioned in paragraph Nos. 7 to 22 of the writ petition. According to the writ petitioners, the selections were made pursuant to the advertisement published by the respondent itself.

....

Prayer in the present petition is for treating the services of the writ petitioners as regular teaching faculty, substantively appointed against the post created by the State Government pursuant to the Government order dated 12.02.1997 including extension of personal promotion/career advancement scheme and other monetary benefits.

Learned Standing Counsel as well as Shri Rohit Pandey who appears for the respondent University submits that the issues with the writ petitioners seeks to raise relying upon the decision of the Vice Chancellor needs determination by the fourth respondent, he submits that the writ petitioners may approach the Chancellor in view of the provisions contained under Section 68 of U.P. State Universities Act, 1973 by way of a reference.

....

Considering the submissions of the rival parties as well as stand taken by them, the writ petition is being disposed off without seeking any response from the respondents granting liberty to the writ petitioners to approach the Chancellor, Chatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur (U.P.) who shall take an appropriate decision with most expeditions on top priority within the reasonable period.

With the aforesaid observations, the writ petition is disposed off."

7. इस संबंध में सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल को प्रेषित पत्र दिनांक 27.02.2020 अवलोकनीय है जिसका सुसंगत अंश निम्नवत् उद्धृत है :

"विषय : देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर को शासन द्वारा स्वीकृत स्ववित्तीय योजना के पदों पर नियुक्त शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेण्ट योजना का लाभ देने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मांगे गये मार्गदर्शन विषयक।

महोदय,

कृपया अपने पत्र क्रमांक 1159/1472/2018/38.3 दिनांक 15.11.19 का संज्ञान लें जिसमें स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में नियुक्त शिक्षकों के लिए कैरियर एडवांसमेंट योजना का लाभ देने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया था।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2018 की ओर आपका ध्यान आकर्षित है "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018)"

उपरोक्त विनियम के खंड 1.2 में यह स्पष्ट किया गया है कि ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की पैरा 2 के खंड (झ) के तहत

संबंधित विश्वविद्यालय के साथ परामर्श कर किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम, अथवा किसी राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित अथवा निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय, आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संगठित अथवा संबद्ध महाविद्यालय सहित प्रत्येक संस्थान और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रत्येक सम विश्वविद्यालय संस्थान पर लागू होंगे।

उपर्युक्त विनियम का अनुपालन अनिवार्य है तथा हर विश्वविद्यालय में इसका पूर्णतः पालन किया जाना अपेक्षित है। यह भी स्पष्ट है कि विनियम वित्तपोषण के स्त्रोत के आधार पर शिक्षकों के बीच कोई भेद–भाव नहीं करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूर्व में भी अपने पत्र कमांक 25–2/2018/पीएस एमआईएम/क्यूआईपी/एमएचआरडी, दिनांक 01.05.2019 द्वारा इसे स्पष्ट किया है। विनियमों के एक बार अधिसूचित हो जाने पर संबंधित विश्वविद्यालय के कानूनों/अध्यादेशों में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। इस संबंध में यह उल्लेख करना उपर्युक्त है कि मध्य प्रदेश सरकार के दिनांक 19.05.2006 के पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों का पूर्णतयाः पालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के परिनियम संख्या (Statute) 31 की धारा 2 (बी) में विनिर्दिट है कि शिक्षकों के लिए पदोन्नति का प्रावधान अध्यादेश 4 में किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त विनियम के अनुसार कैरियर एडवांसमेंट योजना लागू करता है। इस प्रकार विश्वविद्यालय के साथ ही राज्य सरकार की घोषित नीतियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुरूप होती हैं।

उपरोक्तानुसार, इस प्रकरण में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में लिखे गये पत्र दिनांक 01.05.2019 के अनुरुप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम पूर्णतः अनिवार्य हैं तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा इसका पालन किया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के पदों में नियुक्त शिक्षकों का वेतन निर्धारण, कैरियर एडवांसमेंट योजना तथा अन्य सेवा संबंधी लाभ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपर्युक्त विनियम के अनुसार प्राप्त होंगे बशर्ते कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में निर्धारित योग्यताओं/अर्हताओं व नियुक्ति प्रक्रियाओं को पूरा करते हों।'

8. प्रकरण के सम्बन्ध में, संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को प्रेषित पत्र दिनांक 31.05.2022 का निम्न अंश सुसंगत व अवलोकनीय है :

"This is with reference to the matter of promotion of Self-Finance Teachers. I am directed to bring to your kind notice that UGC has already conveyed on the matter vide its letter No. 25-2/2018(PS/Misc/VIP/MHRD) dated 1st May, 2019 to the Vice Chancellor of Devi Ahilya University and the Secretary to the Higher Education Department of MP vide letter of even

No. 25- 2/2018(PS/Misc/VIP/MHRD) dated 27th February, 2020. Further, it is to inform you that UGC has issued Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers & Other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2018. Clause 1.2 of UGC Regulations, 2018 clearly states that "These shall apply to every University established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or a State Act, every Institution including a Constituent or an affiliated College recognized by the Commission, in consultation with the University concerned under Clause (i) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and every Institution deemed to be a University under Section 3 of the said Act". These Regulations make no distinction between teachers based on their source of funding.

In addition, based on representations from teachers working in various Universities, UGC had issued letter No. 17-7/2013 (PS/Misc) Pt.Fl dated 27th February, 2020 requesting the Vice-Chancellor of all the Universities to take appropriate action to decide all pending promotion cases at the earliest.

These Regulations are mandatory in nature and have to be followed by every university in toto. The pay scale and service conditions including Career Advancement Scheme given in the Regulations are applicable to all the teachers, including the teachers appointed under Self Financing Mode.

9. प्रकरण में, शासनादेश दिनांक 12.02.1997 अवलोकनीय है जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है :

"उपरोक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्रांक : एस0एस0जे0का0वि0/आर0 कैम्प/30/96 दिनांक 07.09.1996 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ने श्री शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में विधिवत इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम चलाये जाने सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हो जाने पर पाठ्यक्रम चलाये जाने के लिए निम्नांकित पदों के सृजन एवं उनको परिनियमों एवं अधिनियमों की व्यवस्था के अनुसार भरने की तिथि से दिनांक 30.06. 1997 तक की अवधि के लिए बशर्ते उन्हें इससे पूर्व समाप्त न कर दिया जाये, सृजित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है :

"शिक्षक पद

क्रमांक	*विभाग*	*प्रोफेसर (4500–7300)*	*रीडर (3700–5700)*	*लेक्चरर (2200–4000)*
1.	*केमिकल इंजीनियरिंग*	*एक*	*दो*	*चार*

2.	कम्प्यूटर इंजीनियरिंग एण्ड इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	एक	दो	चार
3.	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजी0	एक	दो	चार
4.	मेकैनिकल इंजी0	एक	दो	चार
	योग	चार	आठ	सोलह

शिक्षणेत्तर पद : 20 (बीस) .....''

2. *उक्त पदों के धारकों को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई एवं अन्य भत्ते, जो विभिन्न शासनादेशों द्वारा समय–समय पर अनुमन्य कराये गये हैं, देय होंगे।*

3. *उपरोक्त पदों के सम्बन्ध में स्ववित्तपोषित पाठ्यकम होने के कारण विश्वविद्यालय के प्रस्तावानुसार शत प्रतिशत व्ययभार विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। इन पदों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा इंजीनियरिंग पाठ्यकम हेतु मांगे गये निदेशक के पद को सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया।''*

10. अधिनियम, 1973 में विश्वविद्यालय की शक्तियॉ और कर्तव्य संबंधी धारा 7(9) में प्रावधानित है कि *''विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन पदों को संस्थित करना और उन पदों के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करना''* एवं धारा 21 ***''कार्य परिषद की शक्तियॉ और कर्तव्य*** *: (1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय का प्रधान अधिशासी निकाय होगा और ... (vii) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना तथा उनकी सेवा के सम्बन्ध में उनके कर्तव्यों एवं शर्तों को परिभाषित करना एवं उनके पदों में अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए प्रावधान करना।''* अधिनियम, 1973 की उपर्युक्त व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का नियुक्ति प्राधिकारी विश्वविद्यालय कार्य परिषद होने के दृष्टिगत प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही विश्वविद्यालय कार्य परिषद स्तर से ही सम्पादित किया जाना विधिसंगत होगा।

11. इस संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णयज विधियों **धनन्जय रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य, (2001) 4 एससीसी 9, रामचन्द्र केशव अडके बनाम गोविन्द जोशी चवारे, एआईआर 1975 एससी 915** एवं **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह, एआईआर, 1964 एससी 358** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि यदि विधि द्वारा किसी भी कार्य के करने की रीति विहित की गयी

है, तो उसे विधि द्वारा विहित रीति से ही किया जाना चाहिए अन्यथा की स्थिति में नहीं।

12(अ). अतएव प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उपर्युक्त विवेचन एवं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 7(9) एवं धारा 21(1)(vii) के प्रावधानों के आलोक में, नियुक्ति प्राधिकारी, विश्वविद्यालय कार्य परिषद को, डॉ0 बृष्टि मित्रा व 14 अन्य प्रत्यावेदकगण द्वारा इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन के समुचित निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली/अध्यादेश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सम्बन्धित नियामक संस्था व शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत विधियों/मानकों अथवा प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, परीक्षणोपरान्त अविलम्ब विधिसम्मत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

12(ब). तदनुसार प्रत्यावेदिका डॉ0 बृष्टि मित्रा व 14 अन्य प्रत्यावेदकगण द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 68 के अन्तर्गत प्रस्तुत उपर्युक्त प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

Anandi Patel

(आनंदीबेन पटेल)
कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. डॉ0 बृष्टि मित्रा पत्नी श्री गौतम देव व 14 अन्य, म0नं0 474, आई0आई0टी0 कैम्पस कानपुर, कानपुर नगर।
2. कुलपति, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

02/5/24

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव

Issue Sri Gopal Chand
03.05.24
Issued 3/5/24

कृपया नोट करना चाहें

19

08/05/2024